

जय माता दी

किस्म दस्तावेज	बैनामा
भूमि का प्रकार	आवासीय भूखण्ड
वार्ड/परगना	सदर तहसील आगरा
मौहल्ला/ग्राम	विश्वकर्मा गार्डन मौजा बरौली अहीर
सम्पत्ति का विवरण	भूखण्ड सख्या 54, खसरा सख्या 398, 401 व 402 150 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। रास्ता 9 मीटर चौड़ा। विक्रीत भूखण्ड कार्नेर व दो रास्ते व पार्क के सामने स्थित नहीं है, तथा किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है।
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	5,30,000/-रुपया।
मापन की इकाई	8,70,000/-रुपया।
सड़क की स्थिति	5,800/-रुपया प्रति वर्ग मीटर।
अन्य विवरण	जो पृष्ठ सख्या 31 कम सख्या पर अंकित है।
प्रतिफल की धनराशि	52,200/-रुपया।
सरकारी कीमत	
सर्किल रेट	
स्टाम्प	
सीमायें	—
पूरब	भूखण्ड सख्या 53
पश्चिम	भूखण्ड सख्या 55
उत्तर	रास्ता 9 मीटर चौड़ा
दक्षिण	जमीन दीगर

विक्रेता/प्रथम पक्ष की सख्या —1

- 1 शिखर निर्माण प्रा० लि० कार्यालय— जी-1, फैंडण्स पैराडाइज खन्दारी कासिंग आगरा द्वारा निदेशक श्री राकेश गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता नि०- 86 विनय नगर बोदला तहसील व जिला आगरा। PAN NUMBER -, MOBILE NUMBER -

एवं

क्रेता/द्वितीय पक्ष की सख्या —1

1 श्रीमती मधु गोयल पत्नी श्री गिराज किशोर गोयल नि०- डी-58 इन्द्रा पुरम शमसाबाद रोड
तहसील व जिला आगरा। PAN NUMBER -, MOBILE NUMBER -

जो कि एक किता विकसित भूखण्ड सख्या 54 व तादात 150 वर्ग मीटर पैमाइशी व तरफ पूरब 15 मीटर व तरफ पश्चिम 15 मीटर व तरफ उत्तर 10 मीटर व तरफ दक्षिण 10 मीटर मिनजुमला खसरा सख्या 398, 401 व 402 वाकै विश्वकर्मा गार्डन मौजा बरौली अहीर व जिला आगरा। जो साथ लगे नक्शे मे व रंग लाल से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।
विदित हो कि उपरोक्त विक्रीत भूखण्ड को वसमूल दीगर जमीन के विक्रेता कम्पनी ने वजरिये तीन किता बैनामा रजिस्टरी सुदा यकै दिनांक 16/05/2006 ई० को जिसकी रजि. कार्यालय उपनिबधक आगरा मे वहीं न० एक जिल्द 1200 सफा 277/328 कम स० 3311 व दायमी बैनामा दिनांक 09/06/2006 ई० जिसकी रजि० वही न० एक जिल्द 1252 पृष्ठ 19/38 नम्बर दस्तावेज 4315 व सोयमी बैनामा दिनांक 12/06/2006 ई० जिसकी रजि० वही नम्बर एक जिल्द 1255 पृष्ठ 347/384 न० 4395 पर कार्यालय सव रजिस्टार आगरा मे विधिवत दर्ज रजिस्टर हुई के खरीद किया और वाद खरीदारी के उक्त भूमि पर आगरा विकास प्राधिकरण आगरा से मानचित्र स्वीकृत कराते हुये उक्त कालौनी विकसित की इस प्रकार विक्रीत भूखण्ड की विक्रेता कम्पनी एक मात्र मालिक काविज व दखील चली आती है अन्य कोई दीगर हकदार व हिस्सेदार किसी प्रकार का उक्त भूखण्ड मे नहीं है कि जो माने किसी प्रकार के इंतकाल वगैरा का होवे और उपरोक्त भूखण्ड मजकूर आज तक हर प्रकार के दावे व झगडें व रहन व विक्रय व मुआहिदा वैं एक्यूटेविल मोरगेज व समस्त प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों से कतई पाक व साफ है और किसी दीगर व्यक्ति के हक मे कोई इकरारनामा किया है। प्रथम पक्ष कम्पनी मे उक्त भूखण्ड का आवंटन पूर्व मे ही क्रेता उक्त को कर दिया है अतः विक्रय करना वास्ते जरूरत व मिलने माकूल कीमत के स्वीकार है।

लिहाजा मै प्रथम पक्ष वहैसियत निदेशक उक्त कम्पनी के अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर विला वहकाये व सिखाये व विला किसी दबाव नाजायज के स्वस्थ चित्त मन बुद्धि व इद्रियो के उपरोक्त विकसित भूखण्ड सख्या 54 व तादात 150 वर्ग मीटर कुल को साथ तमाम हक हकूक व दाखिली खरिजी के मय गुडटाईटिल के व एवज मुवलिंग 5,30,000/-पाँच लाख तीस हजार रुपया के आधे जिनके मुवलिंग 2,65,000/-दो लाख पैसठ हजार रुपया होते है मे वदस्त श्रीमती मधु गोयल पत्नी श्री गिराज किशोर गोयल नि०- डी-58 इन्द्रा पुरम शमसाबाद रोड तहसील व जिला आगरा क्रेता द्वितीय पक्ष के वैं कतई किया और बेच दिया और कीमत कुल धन मुवलिंग 5,30,000/-रुपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से वजरिये तीन किता एकाउण्ट पैई चैक सख्या 973858 दिनांक 21/09/2006 ई० मुवलिंग 2,10,000/-रुपया व चैक सख्या 626360 दिनांक 02/04/2007 ई० मुवलिंग 2,10,000/-रुपया व चैक सख्या 632552 दिनांक 09/10/2007 ई० मुवलिंग 1,10,000/-रुपया जो समस्त चैक पंजाब नेशनल बैंक शाखा पेरा सेन्टर आगरा के है के द्वारा पूर्व मे ही प्राप्त कर लिये है। इस प्रकार अब प्रथम पक्ष का द्वितीय पक्ष क्रेता से कीमत मे कुछ भी पाना बांकी नहीं रहा है और न आयंदा होगा।

लिहाजा कब्जा व दखल विक्रीत भूखण्ड पर प्रथम पक्ष विक्रेता ने क्रेता द्वितीय पक्ष का करा दिया और मालिक व काविज व दखील बना दिया अब द्वितीय पक्ष को पूर्ण हक व अधिकार है कि वह विक्रीत भूखण्ड से वहैसियत स्वामी के चाहे जिस प्रकार लाभान्वित होवे व निर्माण करावे व खुद

आबाद हो या किराये पर उठावे या रहन व वैय वगैरा जो चाहे सो करे तथा अपने नाम का नामांकन वजरिये बैनामा हाजा सम्बंधित विभाग मे दर्ज कराले, कुछ उज्र न होगा। अगर भविष्य मे कोई दीगर प्रथम पक्ष कम्पनी का कोई पदाधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार का दावा व झगडा केता द्वितीय पक्ष से उक्त भूखण्ड की बावत करे या उसके कब्जे व स्वामित्व मे बाधा डाले या वजह दावेदारी या किसी दीगर वजह से कब्जा जुज व कुल द्वितीय पक्ष से निकल जावे या टाईटिल मे कोई कानूनी कमी पायी जावे तो उस कुल की जबावदेही व जिम्मेदारी विकेता प्रथम पक्ष कम्पनी व कायम मुकामान उसके की है और आंयदा होगी। विक्रीत भूखण्ड मजकूर नजूल या राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है और न किसी वाद मे अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित किया गया है और न ही उसका मुआवजा प्राप्त किया है। महानिरीक्षक उपनिबंधक उ0प्र0 के आदेशानुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 ;1; के अन्तर्गत वह सभी तथ्य व परिस्थितियों जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकती है तत्परता पूर्वक अंकित की गया है।

इस बैनामा का प्रस्तुतीकरण लक्ष्मण प्रसाद मित्तल पुत्र श्री राम जी लाल मित्तल निवासी- बोदला आगरा द्वारा बहैसियत मुख्तारेआम मुख्तारनामाआम रजिस्टरीसुदा दिनांक 21/11/2007 ई0 कि जिसकी रजिस्टरी कार्यालय उप निबंधक तृतीय आगरा के यहाँ कर्मांक सख्या 3 पर दर्ज हुई के द्वारा किया गया है।

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें तहरीर तारीख 06/07/2018 ई0 व मसौदा जगदीश प्रसाद मंगल एडवोकेट सिविल कोर्ट आगरा। दस्तावेज पक्षकारान के निर्देशानुसार व कथनानुसार तहरीर किया गया है।